**गोबर गैस, बायो-गैस, आदि के विकास संबंधी योजनाएं**

868. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोबर गैस, बायो-गैस तथा इसी प्रकार के अन्य ऊर्जा के स्रोतों के विकास के लिये कौन-कौन सी योजनाएं चल रही हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि धुआं रहित चूल्हे तथा सूर्य की रोशनी से चलने वाले चूल्हे अभी तक केवल प्रदर्शनी की ही चीजें हैं और इन्हें अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावहारिक रूप नहीं दिया गया है; यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) :** (क) एक विवरण संलग्न है **(आगे देखिए)** ।

(ख) जी, नहीं । दो वर्ष से भी कम की अवधि में देश भर में अब तक लगभग दस लाख धूम्ररहित चूल्हों की स्थापना की जा चुकी है । लगभग 40,000 सौर कुकरों की भी बिक्री की जा चुकी है ।

**विवरण**

| क्रम सं० | योजना का नाम |
|---|---|
| 1. | बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना । |
| 2. | उन्नत प्रकार के चूल्हों की राष्ट्रीय परियोजना । |
| 3. | सामुदायिक और संस्थागत बायोगैस संयंत्र प्रदर्शन कार्यक्रम । |
| 4. | जल तापन सहित निम्न ग्रेड तापीय ऊर्जा की लोकप्रियता के लिए विस्तार कार्यक्रम । |
| 5. | बायोमास गैसीफायर के लिए प्रदर्शन योजना । |
| 6. | ग्रामीण नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली परियोजना । |
| 7. | पवन पम्प प्रदर्शन । |
| 8. | पवन फार्म प्रदर्शन । |
| 9. | पवन (वायु) सर्वेक्षण । |
| 10. | अनुसंधान और विकास प्रदर्शन का विस्तृत कार्यक्रम और प्रकाशवोल्टीय प्रौद्योगिकी का उपयोग । |
| 11. | अन्य अनुसंधान और प्रदर्शन परियोजनाएं । |

**टेलीफोन के केबिल बिछाने में अनियमितताएं**

869. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 अगस्त 1985 के जबलपुर से प्रकाशित दैनिक "युग धर्म" में के "बिल्स डालने में ईंट रेत का उपयोग नहीं--भारी भ्रष्टाचार की आशंका" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि केबिल डालने में होने वाली ऐसी अनियमितताओं के कारण ही अधिकांश जगहों पर टेलीफोन ज्यादा खराब होते हैं; और

(ग) यदि हां, तो भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिये क्या उपचारी कदम उठाये गये हैं ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :** (क) इस मामले की जांच मध्य प्रदेश दूरसंचार सर्किल

के अधिकारियों की एक टीम ने की थी तथा ऐसा पता चला कि जबलपुर में केबिल बिछाने में किसी प्रकार की अनियमितताएं नहीं बरती गई ।

(ख) और (ग) जी, नहीं । अन्य जन उपयोगी सेवाओं का खुदाई कार्य होने के कारण टेलीफोन केबिलें खराब हो जाती हैं । विभाग द्वारा इस बात का व्यापक प्रचार करने के बावजूद कि खुदाई एजेंसियां खुदाई करने से पहले विभाग को सूचित करें, ऐसा हो जाता है । केबिलें विभागीय मानदंडों के अनुसार बिछाई जाती है तथा केबिल बिछाते समय पर्याप्त रूप से देख-रेख की जाती है ।

**Rehabilitation of Bhopal Gas Victims**

870. PROF C. LAKSHMANNA:
SHRIMATI SUDHA VIJAY JOSHI:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Rs. 322 crore scheme has been drawn up by Government for the rehabilitation of the gas victims in Bhopal;

(b) the details of the aspects of rehabilitation that Rs. 322 crore scheme would cover;

(c) whether in addition to this sum of Rs. 322 crores, Unoin Carbide have also allotted some money for the rehabilitation of the gas victims and if so, what are the details thereof?

(d) the number of gas victims who qualify to be rehabilitated and the average amount that each such person would get: and

(e) the details of rehabilitation of each such person?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETRO-CHEMICALS (SHRI R. K. JAICHANDRA SINGH): (a) to (e) According to available information, the number of persons affected by the gas leakage disaster at Bhopal exceeds 3,00,000. Government of Madhya Pradesh, apart from providing ex-gratia financial and other relief, has undertaken rehabilitation of the affected persons. Initially, the State Government had prepared a broad concept paper. Subsequently, a detailed project report for relief and rehabilitation of Bhopal gas victims has been prepared. This report includes schemes and projects which are directly related to relief and rehabilitation of gas victims in the short-term and includes ex-gratia financial and other reliefs, vocational training as well as schemes for providing suitable avenues for employment or self-employment. These would involve financial requirement of about Rs. 93 crores. In addition, other schemes and programmes having a long-term bearing on the rehabilitation of the gas affected areas, have also been identified, to improve the living conditions of the affected population, the implementation of which would involve about Rs. 78 crores.

**Amendment of Indian Contract Act to protect consumers**

871. SHRI DINKARRAO GOVINDRAO PATIL: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether Government propose to amend the Indian Contract Act to protect the interests of consumers who suffer losses due to the failure of companies to honour the warrantly in goods purchased;

(b) whether the Law Commission has recommended such an amendment or for an enactment of a Bill in this regard;

(c) if so, by when an amending bill is likely to be introduced in Parliament;

(d) if the answer to part (a) above be in the negative, what are the reasons therefor; and